



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या 394 /2026

हर्षित चतुर्वेदी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : स्वयं

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : आकांक्षा शर्मा, स्थायी अधिवक्ता

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति रुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका, कथित तौर पर जनहित में, एक अभ्यासरत अधिवक्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा प्रतिवादी संख्या 7 को 2026 के लिए परीक्षा केंद्र घोषित करने को रद्द करने, दिनांक 04.09.2025 की दोषपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट को अवैध, अविश्वसनीय और विधिवत अमान्य घोषित करने की मांग की गई है, और आगे उच्च तनाव वाले तारों को तत्काल हटाने/भूमिगत करने और प्रतिवादियों को उक्त असुरक्षित संस्थान में परीक्षा आयोजित करने से रोकने की मांग की गई है।

2. याचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा संबंधित विद्यालय के पास से गुजरने वाली उच्च तनाव बिजली लाइन से संबंधित है, फिर भी मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि उक्त विद्यालय/अंतर महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में उपयोग न किया जाए। यद्यपि उच्च तनाव तार को हटाने/निकालने के संबंध में मुद्दा उठाया गया है, फिर भी प्रतिवादियों में से कोई भी विद्युत विभाग से संबंधित नहीं है।

3. याचिका का स्वरूप और मांगी गई राहते स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि याचिकाकर्ता कॉलेज को परीक्षा केंद्र के रूप में हटाए जाने में काफी रुचि रखता है, क्योंकि स्कूल के कामकाज के संबंध में कोई प्रार्थना नहीं की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. जिस इरादे से याचिका दायर की गई है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्कूल परिसर से होकर गुजरने वाली बिजली लाइन को कथित तौर पर बंद करने की आड़ में, पूरा प्रयास किसी भी तरह परीक्षा केंद्र को रद्द करवाने का है।

5. इस मामले को देखते हुए, हम यह नहीं पाते कि दायर की गई याचिका सद्भावनापूर्ण है, इसलिए इसे **खारिज** किया जाता है।

फरवरी 13, 2026

संदीप/ए के शुक्ला

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”